



हिमाचल प्रदेश सरकार  
आयुर्वेद विभाग  
तारीख शिमला-2,

संख्या: आय०-क-(3)-5/1990

4 जून, 2013.

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में प्रबंधक(फार्मसी), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलंगन उपाबन्ध-“क” के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1)

इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, प्रबंधक(फार्मसी), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है। ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां 2 (1)

इस विभाग की अधिसूचना संख्या आय०-क (3)-5/90 तारीख 05.04. 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग प्रबंधक(फार्मसी) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (आयुर्वेद)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

S. D.  
Subadd. 847

18/06/13


21/06/13  
19/6

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला-2,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

4 जून, 2013

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002।
2. निदेशक (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश शिमला-171009।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम विहार शिमला-171002 उनके पत्र संख्या 1-2/78-पीएससी- पार्ट दिनांक 09.04.2013 के सन्दर्भ में।
4. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 को राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
5. सहायक विधि परामर्शी एवम् अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002
6. गार्ड नस्ति-80 प्रतियां।

  
अवर सचिव(आयुर्वेद)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध- "क"

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में प्रबंधक(फार्मसी), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1	पद का नाम :	प्रबंधक(फार्मसी)
2	पदों की संख्या :	03 (तीन)
3	वर्गीकरण :	वर्ग-I (राजपत्रित)
4	वेतनमान :	(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:- 15,600—39,100/- रुपए जमा 6,600/- रुपए ग्रेड पे (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाः— स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार/ 22,200/- रुपए।
5	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	45 वर्ष और इससे कम :
	परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :	
	परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :	
	परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है :	
	परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।	
	(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।	
	(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।	

7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ:	<p><b>क) अनिवार्य अर्हता :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i). भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या आयुर्वेदिक महाविद्यालय/संस्थान से आयुर्वेद में पांच वर्ष की अवधि को स्नातक की उपाधि।</li> <li>ii). भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय/संस्थान से द्रव्यगण या रसशास्त्र में तीन वर्ष की अवधि की एम० डी० (आयुर्वेद) की उपाधि।</li> <li>iii). सरकार के स्वामित्वाधीन आयुर्वेदिक फार्मेसी/अस्पताल/औषधालय में पांच वर्ष का वृत्तिक/प्रशासनिक हैसियत में कार्य अनुभव।</li> </ul> <p><b>(ख) वॉचनीय अर्हता :</b></p> <p>हिमाचल प्रदेश की लड़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(ए) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :	<p>आयु : लागू नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हता : हॉ, जैसा उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में वर्णित है।</p>
9	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा :	उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 के सामने सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएँ रखने के अध्यधीन उप-मण्डलीय आयुर्वेदिक अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को समिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवा काल हो, ऐसा न होने पर उप-मण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप-उपण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में संयुक्त: पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से उप-मण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा समिलित होगी।

क (I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय /दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I : उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रैत होगी ।

स्पष्टीकरण-II: उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- 1 जिला लाहौल एवं स्पिति ।
- 2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल ।
- 3 रोहदू उप-मण्डल का डोडरा-क्वार क्षेत्र ।
- 4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
- 5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- 6 कांगड़ा जिला के वैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा-भंगाल क्षेत्र ।
- 7 जिला किन्नौर ।
- 8 सिरमौर जिला में उप-तहसील कमराउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड भलोना और संगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत्त ।
- 9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्दोल बगड़ा पटवार वृत्त, वाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोसाई, मठयानी, घनयाड़ थाची, वागी, सोमगाड़, पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ढैला, रोपा, कथरोग, सिल्ह भड़वानी, हरतपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ़ थाच बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिण मेगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ अपने अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

**स्थायीकरण:**— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईजड आर्मड फोर्सेज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टेक्नीकल सर्विसीज) रॉल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसीज) रॉल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व, सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अन्यथा का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

5 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	<p>इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:-</p> <p><b>I) सकल्पना</b></p> <p>(क) इस पॉलिसी के अधीन आयुर्वेद विभाग में प्रबंधक(फार्मेसी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :</p> <p>परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाया गया है और तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।</p> <p>(ख) <u>पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना :-</u></p> <p>प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।</p> <p>(ग) चयन, भर्ती और प्रोन्टति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।</p> <p><b>(II) संविदात्मक उपलब्धियां :</b></p> <p>संविदा के आधार पर नियुक्त प्रबंधक(फार्मेसी), को 22,200/-रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 666/-रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।</p> <p><b>(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी:</b></p> <p>प्रधान सचिव (आयुर्वेद)/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।</p> <p><b>(IV) चयन प्रक्रिया:</b></p> <p>संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या</p>
---	---

व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार :**

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्, इन नियमों से सलंगन उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन और शर्तें:**

क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 22,200/- रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्भ की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 666/-रुपए (पद के पे-बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आवरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश का हकदार भी होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष संचित किया जा सकेगा और अगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से खत: ही संविदा का पर्यावरण (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

	<p>(ड.) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।</p> <p>(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।</p>
16.	आरक्षण :
17.	विभागीय परीक्षा :
18.	शिथिल करने की शक्ति :

प्रबंधक (फार्मेसी) हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य प्रधान सचिव/सचिव (आयुर्वेद), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का प्रारूप

यह करार श्री/ श्रीमती ..... पुत्र पुत्री श्री ..... निवासी.....

..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य प्रधान सचिव/सचिव आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रबंधक (फार्मेसी) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

01. यह कि प्रथम पक्षकार प्रबंधक (फार्मेसी) के रूप में..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को सवंयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी।

02. प्रथम पक्षकार को संविदात्मक रकम 22,200/- रूपए प्रति मास होगी।
03. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति (पर्यवसित) समाप्त की जाने के लिए दायी होगी।
04. संविदा पर नियुक्त प्रबंधक(फार्मेसी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बारह सप्ताह के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

05. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समाप्त) हो जाएगा। संविदात्मक प्रबंधक (फार्मेसी) कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
06. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
07. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी रजिस्टीकृत व्यवसायी, से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

08 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

09 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई०पी०एफ०/जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यरचरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

नाम .....

पता .....

2.....

नाम .....

पता .....

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

---

1.....

नाम .....

पता .....

2.....

नाम .....

पता .....

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

---